झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–2515 वर्ष 2020

1. कृष्णा यादव, उम्र लगभग 33 वर्ष, पे0–खेमलाल यादव, निवासी ग्राम–अम्ली, डाकघर–करियापुर, थाना–दारू, जिला–हजारीबाग, झारखण्ड
2. बालेश्वर प्रसाद, उम्र लगभग 34 वर्ष, पे0–स्वर्गीय उमर महतो, निवासी ग्राम–गोपलो, डाकघर–महेशरा, थाना–दारू, जिला–हजारीबाग

.... याचिकाकर्तागण

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य।
2. प्रधान सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार, परियोजना भवन, डाकघर एवं थाना–धुर्वा, जिला–राँची, झारखण्ड
3. आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर डिवीजन, हजारीबाग, डाकघर, थाना और जिला–हजारीबाग, झारखण्ड

3.उपायुक्त, हजारीबाग, डाकघर, थाना और जिला–हजारीबग, झारखण्ड

.... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार द्विवेदी**

याचिकाकर्ताओं के लिए :– श्री हर्ष चंद्र, अधिवक्ता

प्रतिवादी–राज्य के लिएः– श्री किशोर कुमार सिंह, एस0सी0–VI

04 / 27.01.2021 श्री हर्ष चंद्रा, याचिकाकर्ताओं के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता और श्री किशोर कुमार सिंह, प्रतिवादी–राज्य के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. इस रिट याचिका को कोविड–19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के मद्देनजर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुना गया है। किसी भी पक्ष ने ऑडियो–वीडियो की किसी भी तकनीकी गड़बड़ी के बारे में शिकायत नहीं की है और उनकी सहमति से इस मामले को योग्यता के आधार पर सुना गया है।

3. याचिकाकर्ताओं ने झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के आलोक में सेवाओं में नियमितीकरण के लिए इस रिट याचिका को दायर किया है।

4. श्री चंद्रा, याचिकाकर्ताओं के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता संख्या 1 को शुरू में जिला निर्वाचन अधिकारी–सह–उपायुक्त, हजारीबाग के कार्यालय में 13.05.2009 के पत्र द्वारा चपरासी के पद पर नियुक्त किया गया था और बाद में वह इस पद पर योगदान दिये। याचिकाकर्ता संख्या 2 को शुरू में जिला निर्वाचन अधिकारी–सह–उपायुक्त, हजारीबाग के कार्यालय में दिनांक 16.04.2009 के पत्र द्वारा चपरासी के पद पर नियुक्त किया गया था और बाद में वह भी उक्त पद पर योगदान दिया। वह आगे कहता है कि याचिकाकर्ताओं ने पहले ही 10 साल की सेवा पूरी कर ली है और झारखण्ड सरकार द्वारा दिनांक 13.02.2015 को बनाए गए नियमों के अनुसार, याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को नियमित करने की आवश्यकता है। उन्होनें यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सचिव, कर्नाटक राज्य बनाम उमा देवी (2006) 4 एस0सी0सी0 और नरेंद्र कुमार तिवारी और अन्य बनाम झारखण्ड राज्य और अन्य (2018) 8 एस0सी0सी0 238 में दिये गये निर्णयों से पूरी तरह आच्छादित है।

5. श्री सिंह ने प्रतिवादी–राज्य के लिए विद्वान अधिवक्ता से कहा कि याचिकाकर्ता सक्षम प्राधिकारी के समक्ष नए सिरे से अभ्यावेदन दायर कर सकते हैं, जो याचिकाकर्ताओं के मामले पर विचार करेंगे और उचित आदेश पारित करेंगे।

6. उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर और पार्टियों के लिए विद्वान अधिवक्ता के प्रस्तुतिकरण पर विचार करते हुए, याचिकाकर्ताओं को तीन सप्ताह के भीतर दो निर्णयों सहित सभी साख के साथ जिस पर वह भरोसा कर रहा है, नए सिरे से अभ्यावेदन दायर करने के लिए निर्देशित किया जाता है। यदि इस तरह का अभ्यावेदन पूर्वोक्त अवधि के भीतर दायर किया जाता है, तो प्रतिवादी संख्या 4 नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार याचिकाकर्ताओं के मामले पर विचार करेगा और यदि आवश्यक हा, तो इस तरह के निर्णय लेने के लिए गठित समिति के समक्ष इसे रखें और याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भरोसा किये जा रहे निर्णयों पर विचार करते हुए, उसके आठ सप्ताह के भीतर एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करेंगे।

7. यह कहना नहीं होगा कि यदि याचिकाकर्ताओं के पक्ष में निर्णय लिया जाता है, तो उसी का लाभ याचिकाकर्ताओं को उसके बाद आठ सप्ताह की अवधि के भीतर प्रदान किया जाएगा।

8. उपरोक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ, इस रिट याचिका को निष्पादित किया जाता है।

(संजय कुमार द्विवेदी, न्याया0)